भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1108
उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2022
21 माघ, 1943 (शक)

ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में खेल आयोजन

1108. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पैरा-एथलीटों को अन्य खिलाड़ियों के समान सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में सफल रही है, क्योंकि खेलो इण्डिया योजना का एक कार्यक्षेत्र विशेष रूप से पैरा-एथलीटों को समर्पित है; और

(ख) सभी राज्यों में धन का समान वितरण सुनिश्चित करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल आयोजनों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) खेलो इंडिया स्कीम के "दिव्यांगजनों के बीच खेलों का संवर्धन" घटक के तहत संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों अर्थात स्पेशल ओलंपिक भारत, अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद और भारतीय पैरालंपिक समिति को जिला और राज्य स्तर के खेलों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के "प्रतिभा खोज और विकास" घटक के तहत, चार पैरा-खेल विधाओं में 29 पैरा-एथलीटों की पहचान खेलो इंडिया एथलीटों के रूप में की गई है और उन्हें प्रति माह 10,000 रु. आउट ऑफ पॉकेट भत्ता प्रदान किया जा रहा है । इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने साई क्षेत्रीय केंद्र, गांधीनगर में अपनी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्कीम के तहत एक पैरा केंद्र की स्थापना की है । यह केंद्र एथलेटिक्स, तैराकी, पावरलिफ्टिंग और टेबल टेनिस खेल विधाओं में कार्यरत है । चयनित एथलीटों को अनुमोदित स्कीम मानदंडों के अनुसार विशेषज्ञ कोच, खेल उपकरण, भोजन और आवास, खेल किट, प्रतियोगिता एक्सपोजर, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा/ बीमा और वजीफे के रूप में सहायता प्रदान की जाती है । साई के अधिकांश अन्य केंद्रों को भी दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है ।

(ख) यह मंत्रालय खेलों में व्यापक जन सहभागिता और उत्कृष्टता के संवर्धन के युग्मित उद्देश्यों के साथ खेलो इंडिया स्कीम को लागू करता है जिसके तहत खेलों के संवर्धन को व्यापक आधार प्रदान करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए खेलो इंडिया के विभिन्न घटकों के तहत अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । ये कार्यक्रम देश भर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं । मंत्रालय द्वारा निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं अपितु स्कीम-वार जारी की जाती हैं, अतः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निधियों का वितरण तर्कसंगत रूप से होता है ।

***